संख्या-228/2026/755/22-2-2025-17(829)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 18 मार्च, 2026*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी आशुतोष कुमार मिश्र उर्फ पिन्टू पुत्र श्री द्वारिका नाथ मिश्र, निवासी जनपद-देवरिया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-10870/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-24.02.2025, दिनांक 05.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी आशुतोष कुमार मिश्र उर्फ पिन्टू पुत्र श्री द्वारिका नाथ मिश्र, ग्राम-खुदिया बुजुर्ग, थाना-मदनपुर जनपद-देवरिया का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी दुश्मनी के कारण दिनांक 04.01.2012 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फायर करके 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-228/2012 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट, कक्ष सं०-3, देवरिया के दण्डादेश दिनांक 04.02.2017 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बन्दी की अपील लम्बित है, दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 18.11.2024 तक बन्दी की 41 वर्ष की आयु एवं मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष अपरिहार 12 वर्ष 10 माह 07 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष 01 माह 08 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी आशुतोष कुमार मिश्र उर्फ पिन्टू (बन्दी संख्या-202/2019) पुत्र श्री द्वारिका नाथ मिश्र, निवासी जनपद-देवरिया की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-228/2026/755(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in